

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर
अशोक कुमार सैनी बनाम अलिया वगैरा

मुकदमा दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट मु० नं०सन -2023

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--	---------------------------------	--

-3-23

दावा वकील वादी श्री विनोद कुमार शर्मा विद्वान एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जयें रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 28-03-2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

28/3/23

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण की तामील रजिस्ट्री उम्माद शरीर मय इनिशियल होने किगोर्ट पत्रावली की गरी बार-बार आबाद लगती हुई को इतिवादीगण उपस्थित नहीं हुअ समस्त इतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कोषवादी करते हुअ प्रभाव बन्द किया जाता है पत्रावली वाले तरफ पत्रावली दिनांक 12-4-23 को पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

12-4-23

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण की तामील रजिस्ट्री उम्माद शरीर मय इनिशियल होने किगोर्ट पत्रावली वाले तरफ पत्रावली दिनांक 2-5-23 को पेश होवे।

2-5-23

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्या में व्यस्त है। दिनांक को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

रीडर

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य
में व्यस्त है। दिनांक 20-9-23
को पेश हो।

20-9-23
बकील वादी/वकुलाय उप०। बर का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते
दिनांक 30-11-23 को पेश हो।

30-11-23
बकील वादी/वकुलाय उप०। बर का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते
दिनांक 4-1-24 को पेश हो।

4-1-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य
में व्यस्त है। दिनांक 24-1-24
को पेश हो।

24-1-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य
में व्यस्त है। दिनांक 1-2-24
को पेश हो।

1-2-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य
में व्यस्त है। दिनांक 8-2-24
को पेश हो।

8-2-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य
में व्यस्त है। दिनांक 13-2-24
को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
उपस्थित

रीडर



फर्द अहकाम

[नियम 26]

अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर

बनाम

मुकदमा

नं०

सन

तारीख क्रम	हुकम या कार्यवाही में इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>13-2-24 पत्रायली पेश हुई। उमर पत्र उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रमाण कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 29-2-24 को पेश हो।</p> <p>29-2-24 उमर का कार्यवाही उप०। कर का कार्य पत्रायली वास्तु..... दिनांक 29-4-24 को पेश हो।</p> <p>29-4-24 उमर का कार्यवाही उप०। कर का कार्य पत्रायली वास्तु..... दिनांक 20-5-24 को पेश हो।</p>	
	<p>20-5-24 पत्रायली पेश हुई। उमर पत्र उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रमाण कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 29-5-24 को पेश हो।</p> <p>29/05/24 उमर का कार्यवाही उप०। कर का कार्य पत्रायली वास्तु..... दिनांक 03/06/24 को पेश हो।</p> <p>3-6-24 पत्रायली पेश हुई। उमर पत्र उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रमाण कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 17-24 को पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी अलवर</p> <p>पत्रायली पेश हुई। उमर पत्र उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रमाण कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 17-24 को पेश हो।</p>

17-8-24
पत्रावली पेश हुई। उमय मय हुकम
पीछली अफिकरी उमय प्रमाण कार्यो
में अस्त है। दिनांक 20-8-24
को रोक हो।

20-8-24
वकील वादी/वकुलाय उपा। बार का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्तो.....
दिनांक 19-11-24 को पेश हो।

19-11-24
अफिकरी अमय प्रमाण कार्यो
में अस्त है। दिनांक 26-11-24
को रोक हो।

26-11-24
पत्रावली पेश हुई। उमय मय हुकम
पीछली अफिकरी उमय प्रमाण कार्यो
में अस्त है। दिनांक 27-11-24 को
रोक हो।

उपजज अफिकरी
अलवर

27-11-24
पत्रावली पेश हुई। उमय मय हुकम
पीछली अफिकरी उमय प्रमाण कार्यो
में अस्त है। दिनांक 27-11-24 को
रोक हो।

उपजज अफिकरी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी - श्री प्रतीक जुईकर (आई.ए.एस.)

तारीख दायर
13.03.2023

अन्तिम निर्णय
27-11-2024

धारा संख्या
1/29

बचनवान

1- अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी जाति माली अधिकृत अधिकारी त्रेहान अपना घर प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस 290 नया बास, अलवर जिला अलवर निवासी मौहल्ला नया बास मीणा धर्मशाला के पीछे, अलवर, जिला अलवर

वादी

बनाम

- 1- अलिया पुत्र घुटमल जाति मेव,
- 2- जोमू पुत्र घुटमल जाति मेव,
- 3- नूरिया पुत्री घुटमल जाति मेव,
- 4- बुग्गी पुत्री घुटमल जाति मेव,
- 5- सफेदा पुत्र घुटमल जाति मेव,
- 6- सुनेर पुत्र घुटमल जाति मेव, निवासीयान ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर राज०
- 7- राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, अलवर तहसील अलवर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम निर्णय

वाद वादी इस प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि वादी ने धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिन वादी जो त्रेहान अपना घर प्राईवेट लिमिटेड, अलवर जिला अलवर का अधिकृत अधिकारी है इसलिये मिन वादी की ओर से यह वाद प्रवेश करना लाजिमी आया है खाता संख्या नया 173 हाल आराजी खसरा नम्बर 1574 रकबा 0.34 हेक्टेयर, 1575 रकबा 0.28 हेक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.62 वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर राज० में स्थित है जो आराजी वाद पत्र मे विवादित है एवं विवादित आराजी से सम्बोधित की गई है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1574 रकबा 0.34 हेक्टेयर, 1575 रकबा 0.28 हेक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.62 वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर राज० मे मिन वादी का 4६७ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का 1/14, 1/14 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड मे अंकित है जो राजस्व रिकोर्ड जमान्दी सम्वत 2071-2074 मे अंकित है इस प्रकार मिन वादी विवादित आराजी मे रिकोर्डड खातेदार है कि मिन वादी ने विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया गया था जिसका स्वीकृत जमानाकरण संख्या 1338 दिनांक 03.03.2022 को स्वीकृत किया जा चुका है एवं राजस्व रिकोर्ड में भी मिन वादी के नाम का इन्द्राज दर्ज चला आ रहा है। वक्त खरीद ही वादी ने उपरोक्त आराजी का बंटवारा


उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अनुसार खरीद किया हुआ था जिसमें विवादित आराजी मे मिन वादी का 4/7वां हिस्सा में बाउण्ड्रीवाल करीब 5 फुट ऊंची दीवार चारो तरफ की हुई है एवं वक्त खरीद की मिन वादी का 4/7 हिस्सा जिसमे बाउण्ड्रीवाल की हुई है उस पर कब्जा चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ला० 6 द्वारा आपसी सहमति से अपनी सहूलियत के अनुसार विवादित आराजी का मौखिक रूप से बंटवारा किया गया जिसमें मिन वादी का विवादित आराजी खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.28 हेक्टेयर में हिस्सा आया जिसमे मिन वादी द्वारा बाउण्ड्रीवाल करीब 5 फुट ऊंची दीवार चारो तरफ की हुई है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी जयें सम्मन तलब किये गये प्रतिवादी बावजूद विधि सम्मत सूचना उपरान्त उपस्थित नही हुये प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लेते हुये वादी वादी एक तरफा सुनवाई कर दिनांक 20.05.2024 को प्रारम्भिक निर्णय किया गया कि खाता स० नया 173 आराजी खसरा नम्बर 1574 रकबा 0.34 है० एवं 1575 रकबा 0.28 है० कुल किता 2 खसरा नम्बर 0.62 वाके ग्राम तिरमौली, तहसील व जिला अलवर मे अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नौके राजस्व रिकार्ड व हिस्से अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान मे रखते हुये विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी के नक्शे मे विभाजन को प्रदर्शित करते हुये पेश करे।

तहसीलदार अलवर से कुरेजात रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार अलवर ने अपनी रिपोर्ट मू०अ०/2024/7473 दिनांक 08-11-2024 के द्वारा प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट खाता स० नया 173 आराजी खसरा नम्बर 1574 रकबा 0.34 है० एवं 1575 रकबा 0.28 है० कुल किता 2 खसरा नम्बर 0.62 वाके ग्राम तिरमौली, तहसील व जिला अलवर जिला अलवर के कम मे प्रस्तुत की गई।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया कुरेजात रिपोर्ट का अध्ययन किया प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सही होना प्रतीत होती है इस प्रकार मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार अलवर के उक्त उनवानी वाद अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

मुताबिक तहसीलदार अलवर से प्राप्त कुरेजात (प्रस्ताव विभाजन) के आधार पर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कुरेजात रिपोर्ट (प्रस्ताव विभाजन) के नक्शा निर्णय का जुज माना जावेगा।

क्र०स०	नाम काशतकार	खसरा नम्बर मय रकबा	किस्म	तरफ / दिशा	प्रस्तावित रंग नक्शा
01	त्रेहान अपना घर प्राईवेट लिमिटेड जयें हस्ताक्षरकर्ता अशोक कुमार सैनी पुत्र सोहनलाल सैनी जाति माली रजिस्टर्ड आफिस 290 नयाबास शहर अलवर जिला अलवर निवासी माँ नयाबास मीणा धर्मशाला के पीछे अलवर खातेदार	1575 रकबा 0.28 है०	बारानी प्रथम	उत्तर	पीला
		1574 मि० रकबा 0.07 है०	बारानी प्रथम	उत्तर	पीला



उपरखण्ड अधिकारी
अलवर

	कुल किता 02 कुल रकबा 0.35 है0			
02	01:-अलिया पुत्र घुटमल जाति मेव, हिस्सा 7/42 02:-जोमू पुत्र घुटमल जाति मेव, हिस्सा 7/42 03:-नूरिया पुत्री घुटमल जाति मेव, हिस्सा 7/42 4:-बुग्गी पुत्री घुटमल जाति मेव, हिस्सा 7/42 5:-सफेदा पुत्र घुटमल जाति मेव, हिस्सा 7/42 6:-सुमेर पुत्र घुटमल जाति मेव, हिस्सा 7/42 निवासीयान ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर खातेदार	1574 मि0 रकबा	बारानी प्रथम	दक्षिण लाल

अंतिम डिक्री जारी हो। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।



प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 27 - 11 - 24 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।


प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

सिमा - सिमरौली
तहसील - अलवर
जिला - अलवर
लगाव - 1 किमी - 40%
पैगावा - 1 किमी - 40%

मारी पत्रिका



230 रुमा 5 70 70

WS

य. सिमरौली

तहसीलदार (सिमा) अलवर
तहसीलदार, सिमरौली तहसील व
तहसीलदार, अलवर तहसील

मुद्रा नं०/29 निजी 20/24 कार
अलवर अस्पेस V/S अक्रिया का
पार्ट

अलवर अधिकारी
अलवर 1574 रुमा
सिमरौली तहसील
ने) वं
र का
0.34
जिला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्रतीक जुईकर (आई.ए.एस.)

दस्तावेज संख्या
1/29

तारीख दायर
13.03.2023

अन्तिम पर्चा डिक्री
27-11-2024

बचनवान

1- अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी जाति माली अधिकृत अधिकारी त्रेहान अपना घर प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस 290 नया बास, अलवर जिला अलवर निवासी मौहल्ला नया बास मीणा धर्मशाला के पीछे, अलवर, जिला अलवर

वादी

बनाम

- 1- अलिया पुत्र घुटमल जाति मेव,
- 2- जोमू पुत्र घुटमल जाति मेव,
- 3- नूरिया पुत्री घुटमल जाति मेव,
- 4- बुग्गी पुत्री घुटमल जाति मेव,
- 5- सफेदा पुत्र घुटमल जाति मेव,
- 6- सुमेर पुत्र घुटमल जाति मेव, निवासीयान ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर राज०
- 7- राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, अलवर तहसील अलवर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अन्तिम पर्चा डिक्री

मुताबिक तहसीलदार अलवर से प्राप्त कुरेजात (प्रस्ताव विभाजन) के आधार पर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है कुरेजात रिपोर्ट (प्रस्ताव विभाजन) के नक्शा निर्णय का जुज माना जावेगा प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट खाता स० नया 173 हाल आराजी खसरा नम्बर 1574 रकबा 0.34 है० व 1575 रकबा 0.28 है० कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.62 है० वाके ग्राम सिरमोली तहसील व जिला अलवर की अन्तिम पर्चा डिक्री निम्न प्रकार की जाती है:-

क्र०स०	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर मय रकबा	किस्म	तरफ/ दिशा	प्रस्तावित रंग नक्शा
01	त्रेहान अपना घर प्राईवेट लिमिटेड जयें हस्ताक्षरकर्ता अशोक कुमार सैनी पुत्र सोहनलाल सैनी जाति	1575 रकबा 0.28 है०	बारानी प्रथम	उत्तर	पीला


उपखण्ड अधिकारी
अलवर